प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 47 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 1322/वि0का0/2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 21 जुलाई–2011

विषय **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एस. सी.एस.पी. मद हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की मैंचिंग धनराशि को शार्टफाल के रूप में स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–633/26–ब0प्र0/2011–58एसजीएसवाई/10 टीसी–।, दिनांक 15.07.2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एस0सी0एस0पी0 मद हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 2578.58 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 2578.58 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर को विगत वित्तीय वर्ष में अलग से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपद सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। अतः सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0–189 पर कर ली गई है।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

पत्रांक :: 1322 / वि0का0 / 2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1 / 2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–3 / 6 उ0प्र0 शासन।
11. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभागउ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–633 / 26–ब0प्र0 / 2011–58एसजीएसवाई / 10 टीसी–। दिनांक 15.07.2011 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 1327/वि0का0/2011–12 दिनांक : 21 जुलाई, 2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–83 एससीएसपी मद में वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	7.24	13.67
2	GHAZIABAD	3.98	10.88
3	BAGPAT	3.40	7.35
4	RAMPUR	27.09	54.85
5	J B F NAGAR	21.73	40.51
6	BADAUN	89.22	143.13
7	SHAHJAHANPUR	123.51	183.17
8	PILIBHIT	69.74	106.86
9	MAINPURI	43.77	82.64
10	MATHURA	16.46	30.37
11	ALIGARH	18.64	37.74
12	ETAH	16.45	33.32
13	K.RAM NAGAR	15.99	28.19
14	HATHRAS	11.91	25.31
15	JALAUN	62.69	96.55
16	LALITPUR	37.59	55.75
17	BANDA	33.90	68.65
18	MAHOBA	0.86	13.06
19	CHITRAKOOT	53.13	78.80
20	ALLAHABAD	89.69	181.62
21	FATEHPUR	71.15	116.63
22	PRATAPGARH	44.51	44.51
23	KANPUR NAGAR	42.76	86.57
24	KANNAUJ	24.14	48.88
25	VARANSI	61.99	91.93
26	GHAZIPUR	104.77	175.52
27	JAUNPUR	151.64	224.88
28	CHANDAULI	43.60	88.29
29	MIRZAPUR	130.08	200.34
30	SONBHADRA	102.63	152.19
31	SANT R. NAGAR	23.35	40.24
32	LUCKNOW	62.94	107.27

पत्रांक :1327/वि0का0/2011–12 दिनांक :21 जुलाई, 2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–83 एससीएसपी मद में वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
33	GORAKHPUR	57.40	125.22
34	DEORIA	89.25	132.36
35	KUSHINAGAR	120.05	212.96
36	BASTI	26.31	81.08
37	SANT K NAGAR	44.60	90.31
38	AZAMGARH	69.54	140.81
39	MAU	37.36	75.64
40	BALLIA	20.66	80.43
41	BARABANKI	79.69	183.07
42	SULTANPUR	107.88	206.44
43	AMBEDKAR NGR	117.97	182.40
44	GONDA	67.77	152.03
45	BAHRAICH	70.76	161.81
46	BALRAMPUR	26.17	57.80
47	SHRAVASTI	32.62	62.94
	State Total ::	2578.58	

(रू0 पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

share 2011-12

संख्या–633/26–ब.प्र.–2011–58एसजीएसवाई/10टीसी–।

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एस. सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या–83 हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश की मैचिंग धनराशि को शार्टफाल के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 913/वि.का./2011–12 दिनांक 10 मई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 हेतु हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भरत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश की मैचिंग धनराशि रू0–2578.580लाख (रूपये पच्चीस करोड़ अट्ठहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र) को शार्टफाल के रूप में आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखत शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0–2578.580 लाख/– (रूपये पच्चीस करोड़ अट्ठहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2012 को समर्पित कर दी जायगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1206/ दस–2011,दिनॉक 08 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-633(1)/26–ब.प्र.–2011–तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–6/नियोजन अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।